न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील / डिक्री / टीए / 367 / 2005 / अलवर

1– बुद्वि पुत्र दानी
2– रहमत पुत्र दानी
3– रेशमी पुत्री दानी
4– रोशनी पुत्री दानी
5– जूहरी पुत्री दानी
समस्त जाति मेव निवासी ग्राम नंगला तन तसई तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

.....अपीलांट्स

बनाम

1– गूंगा उर्फ भागचन्द पुत्र ज्ञाना जाति मेव
2– ज्ञाना पुत्र मुसैला जाति मेव
2/1 बैनी पुत्र स्व0 ज्ञाना
2/2 प्रताप पुत्र स्व0 ज्ञाना
2/3. पाच्या पुत्र स्व0 ज्ञाना
2/4 शौहकत पुत्र स्व0 ज्ञाना
2/5 जुम्मी पुत्री स्व0 ज्ञाना पत्नि जवर खां
2/6 जन्नती पुत्री स्व0 ज्ञाना पत्नि गोरे खां
समस्त जाति मेव निवासी ग्राम मंगला तन तसई तहसील कठूमर जिला अलवर।
3– उम्मेद पुत्र रूपचन्द (मृतक) जरिये वारिसान
3/1– मु0 चाहती बेवा उम्मेद
3/2– मुहर खां पुत्र उम्मेद
3/3– दीनू पुत्र उम्मेद
3/4– गहुरबी पुत्री उम्मेद
3/5– जूहरबी पुत्री उम्मेद
3/6– हुरली पुत्री उम्मेद
समस्त जाति मेव निवासी ग्राम बहसरावत तहसील कठूमर जिला अलवर।

रेस्पोडेंट्स

(2) अपील / डिक्री / टीए / 368 / 2005 / अलवर

1– बुद्वि पुत्र दानी
2– रहमत पुत्र दानी
3– रेशमी पुत्री दानी
4– रोशनी पुत्री दानी
5– जूहरी पुत्री दानी
समस्त जाति मेव निवासी ग्राम नंगला तन तसई तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

.....अपीलांट्स

बनाम

ज्ञाना पुत्र मुसैला मृतक जरिये वारिस
1– गूंगा उर्फ भागचन्द पुत्र स्व0 ज्ञाना
2– बैनी पुत्र स्व0 ज्ञाना
3– प्रताप पुत्र स्व0 ज्ञाना
4– पाच्या पुत्र स्व0 ज्ञाना
5– शौहकत पुत्र स्व0 ज्ञाना
6– जुम्मी पुत्री स्व0 ज्ञाना पत्नि जवर खां
7– जन्नती पुत्री स्व0 ज्ञाना पत्नि गोरे खां
समस्त जाति मेव निवासी ग्राम मंगला तन तसई तहसील कठूमर जिला अलवर।

रेस्पोडेंट्स

खण्ड–पीठ
श्री सी0आर0 मीना, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः
दोनों अपीलों में :–
श्रीमती पूनम माथुर, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता रेस्पो0।

———

निर्णय

दिनांक– 28.09.2022

यह दो द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 180 / 01 (108 / 99) व 242 / 2001 (109 / 1999) में पारित एक ही निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–01–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार, वाद बिन्दु तथा अधीनस्थ न्यायालयों के एक समान निर्णय होने से इन दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति दोनों पत्रावलियों के साथ संलग्न रखी जावे।

3– इन दानों प्रकरणों में अपीलांट्स के पिता दानी के द्वारा एक वाद सं0 1 / 132 अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध रेस्पो0 / प्रतिवादीगण गंगा, ज्ञाना व उम्मेद के विरूद्ध तथा एक अन्य वाद ज्ञाना ने दानी के का0मु0 कम्पूरी वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, कठूमर (अलवर) के समक्ष पेश किया। दोनों वादों को कंसोलीडेट कर परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई है। जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल खसरा नं0 15 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नं0 12 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जो कि ग्राम बसई तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है उक्त भूमि का काश्तकार खातेदार प्रतिवादी सं0 3 उम्मेद का पिता रूपचन्द था जो के ग्राम भैसड़ावत तहसील लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला था जो बाद में ग्राम बसई तहसील

लक्ष्मणगढ़ में जाकर आबाद हो गया किंतु बाद में वापस अपने गांव चला गया था और उसने संवत 2010 में आराजी मुतनाजा को काश्त करने के लिए 10 रूपए सालाना पर वादी को दी थी तभी से वादीगण आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है और काबिज है। जमाबंदी सं0 2010 से 2013 में वादी साबिक खसरा नंबर 12 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा पर बहैसियत कृषक है, इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय विवादित आराजी पर बतौर उपकृषक काबिज होने के कारण कानूनी प्रावधानों के तहत स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये किंतु बाद की जमाबंदी सं0 2014, 2018, 2022 में बतौर काश्तकार अर्थात् उप कृषक दर्ज होता रहा तथा मौके पर काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। संवत 2028 में बन्दोबस्त कर्मचारीयों ने वादी को खातेदार दर्ज नहीं कर गलत रूप से प्रतिवादी सं0 3 उम्मेद के पिता रूपचन्द को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जो कानूनी प्रावधानों के विरूद्व है तथा वादी के हितो के विरूद्व यह इन्द्राज बातिल व बेअसर है तथा प्रतिवादी इस गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के कब्जे काश्त में मजामहत करते है तथा उसे जबरन बेदखल करना चाहते है। तथा रेस्पो0 / प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने यह कहा कि उन्होने यह आराजी प्रतिवादी सं0 3 उम्मेद पुत्र रूपचन्द से खरीद कर ली है जबकि प्रतिवादी सं0 3 उम्मेद पुत्र रूपचन्द को यह आराजी बेचने का कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि वादी उम्मेद का पिता रूपचन्द पूर्व में स्वतः ही कानूनी प्रावधानों के अनुसार खातेदार बन गया था तथा वादपत्र में यह भी कहा है कि प्रतिवादी सं0 3 उम्मेद पुत्र रूपचन्द ने दिनांक 22–05–1980 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 ज्ञाना पुत्र मुसैला मेव को आराजी का बेचान कर दिया है उक्त बेचान के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल संख्या 472 तस्दीक कर दिया गया जो अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने दोनों वादों को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त करने के पश्चात् तथा गवाहों को मध्य नजर रखते हुए तनकिया कायम की तथा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18–9–1999 द्वारा वाद वादी दानी बनाम गूंगा खारिज कर दिया तथा ज्ञाना द्वारा प्रस्तुत वाद ज्ञाना बनाम दानी साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष दो प्रथम अपीलें सं0 180 / 2001 (108 / 99) मु0 कम्पूरी वगैरह बनाम गूंगा तथा अपील सं0 242 / 2001 (109 / 99) कम्पूरी बनाम ज्ञाना पेश की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12–01–2005 द्वारा दोनों अपीले खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह दो द्वितीय अपीलें इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर गौर नहीं किया कि उनके पूर्वज का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त बहैसियत कृषक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से चला आ रहा है। किन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादी सं0 3 उम्मेद के पिता रूपचंद के पक्ष में गलत इन्द्राज कर दिया था इसलिए यह वाद पेश करना पड़ा है। वादी दानी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद पूर्णतया उनके पक्ष में सिद्ध था। जमाबंदी संवत 2010 से 2013 में भी उनका नाम बहैसियत कृषक दर्ज है इसलिए धारा 15 एवं धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार स्वतः ही खातेदार हो गये हैं। पूर्व से ही वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था इसे देखते हुए परीक्षण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय को वादी दानी को खातेदार दर्ज करना

चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने सेटलमेंट विभाग द्वारा संवत 2028 में प्रतिवादी सं0 3 का नाम गलत रूप से दर्ज करने से उनके द्वारा पेश किये गये वाद एवं अपील को खारिज किया है जबकि रेस्पो0 सं0 3 का भौतिक रूप से विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा उसके द्वारा इस बाबत कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की है। विवादित भूमि वादी अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है, इस कारण प्रतिवादी सं0 3 उम्मेद द्वारा प्रतिवादी सं0 2 ज्ञाना को विवादित भूमि का किया गया बेचान निष्प्रभावी है। उनका यह भी कथन है कि अपीलांट / वादी के पक्ष में संवत 2012 एवं इससे पूर्व एवं पश्चात् के इन्द्राज को रेस्पो0 द्वारा आज दिनांक तक कोई चुनौती नहीं दी गई है। उनका यह भी कथन है सेटलमेंट विभाग का कार्य केवल पुरानी प्रविष्टियों को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दोहराने का है, उन्हें बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किसी प्रविष्ट को डिलीट करने का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी उप–कृषक की हैसियत से शुरू से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड रहा है परन्तु फिर भी सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से वादी अपीलांट का नाम हटाकर प्रतिवादी सं0 3 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में उनका कथ है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाये जावे। उनका यह भी कथन है समवर्ती निष्कर्ष यदि विधि के विपरीत पारित किये गये हो तो द्वितीय अपील के जरिये उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने 2012 (19) आर.बी.जे. 777, 1998 (5) आर.बी.जे. 02, 2000 (7) आर.बी.जे. 313, 2003 (10) आर.बी.जे. 205, 1990 आर.आर.डी. 91, 1993 आर.आर.डी. 232 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

5– इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट का अपनी बहस में कथन है कि वादी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे यह साबित हो कि वह उप कृषक है। राज्य सरकार के आदेश से संवत 2030 से 2032 तक वास्तविक कब्जा के आधार पर गिरदावरी कराई गई थी। जिससे वास्तविक काश्तकार का नाम उस स्थिति में अंकित किया जाता था। स्पष्ट रूप से धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार दिनांक 15–10–1955 को यदि कोई व्यक्ति किसी टिनेन्ट का नाम उप कृषक के रूप में वार्षिक रजिस्टरों में दर्ज है या सब टिनेन्ट होना साबित करता है, तो ही उसे उप कृषक माना जाएगा परन्तु वादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं की गई है। जमाबंदी संवत 2014, 2015 से 2018 व संवत 2022 में उम्मेद पुत्र रूपचन्द मेव मार्फ दानी पुत्र घमण्डी मेव दर्ज है। दानी वर्ष 1955 के राजस्व रिकार्ड में भी उप कृषक दर्ज नहीं है। उसे केवल रूपचन्द का हिस्सेदार मार्फत दर्ज किया है, विधि अनुसार हिस्सेदार और मार्फत को खातेदारी दिये जाने के प्रावधान नहीं है। अपीलांट ने ऐसी कोई नजीर पेश नहीं की है जिससे यह साबित होता हो कि मार्फत को भी खातेदारी दी जा सकती है। राजस्व रिकार्ड में संवत 2037 एवं 2046 व उसके बाद में ज्ञाना पुत्र मुसैला का नाम दर्ज होने से वह, वाददी दाना को हुक्म इम्तनाई दवामी से पबांद कराने का अधिकारी है। अपीलांट्स प्रकरण में विधि का कौनसा सारभूत प्रश्न अन्तवर्लित है, बताने में असमर्थ रहे है तथा इससे स्पष्ट है कि इस प्रकरण में कोई Substantial question of law अन्तवर्लित नहीं है। इसलिए दोनों अपीले सारहीन है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश 20 नियम 5 एवं आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के बाध्यकारी प्रावधानों के निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। अन्त में उनका कथन है दोनों अधीनस्थ न्याायलय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किये है जिसमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की

आवश्यकता नहीं है। अतः दोनों अपीलें खारिज फरमाई जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 1997 आर.आर.डी. 416, 1990 आर.आर.डी. 456, 1984 आर. आर.डी. 517, 2006(2) आर.आर.टी. 789, 2002 (29) आर.बी.जे. 36, 2018 (25) आर.बी.जे. 543, 2022 (29)आर.बी.जे. 142, 2007 (14) आर.बी.जे. 35, 2014 (21) आर.बी.जे. 348 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6— पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है वादी जिस विवादित भूमि के संबंध में वाद लेकर आया उस भूमि के संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सका जिसके आधार पर यह माना जावे कि विवादित आराजी का वह उपकृषक भी कभी दर्ज रहा हो। धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को दिनांक 15—10—1955 को राजस्व रिकार्ड में नाम उपकृषक के रूप में दर्ज हो तथा वार्षिक उपकृषक रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो तो ही वह सब—टिनेंट होना माना जावेगा तथा यदि वह उसके बाद के वार्षिक रजिस्टर में भी उसका नाम दर्ज होता चला आ रहा है तो वह खातेदार काश्तकार दर्ज होने का भी अधिकारी है। वादी दानसिंह उर्फ दाना द्वारा ऐसी कोई दस्तोवजी साक्ष्य दोनों अधीनस्थ न्यायालयों एवं इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है कि वह किसी भी विवादित भूमि का उप—कृषक रहा है।

7— प्रकरण में जहां तक भू—प्रबंध विभाग द्वारा वादी दाना का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड में पहले रूपचन्द का नाम दर्ज है तथा रूपचन्द के निधन के बाद उसके वारिस उम्मेद पिता रूपचन्द का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। उम्मेद द्वारा विवादित भूमि का बेचान ज्ञाना को करने से उसके नाम नामांतरकरण तस्दीक की उसके पक्ष में खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई है। इस प्रकार शुरू से भूमि पर प्रतिवादी सं0 3 के पिता के खातेदारी की होने से सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रतिवादी सं0 3 के पक्ष में ही रिकार्ड को दोहराया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी संवत 2 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी का नाम जरिये मार्फत विवादित भूमि पर दर्ज रहा है तथा जरिये माफर्त होने के आधार पर किसी को उपकृषक की हैसियत से अधिकार दिये जाते हों, इस संबंध में कोई कोई न्यायिक दृष्टांत वादी/ अपीलांट द्वारा हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है।

8— परीक्षण न्यायालय ने तनकियों पर विस्तार से विवेचना करते हुए विवादित भूमि को प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज होना विधिसम्मत रूप से पाया है तथा वादी दाना द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से वाद विरूद्ध वादी दाना खारिज किया है।

9— प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में निर्मित गई तनकियों पर पुनः विवेचना करते हुए अपील अपीलांट्स खारिज की है। वादी द्वारा हमारे समक्ष ऐसा कोई नया तथ्य अथवा बिन्दु नहीं उठाया गया है जिससे अपील उनके पक्ष में पाया जाना सिद्ध होता हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष पारित किये है जिनमें हम द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

(1) अपील / डिक्री / टीए / 367 / 2005 / अलवर
(2) अपील / डिक्री / टीए / 368 / 2005 / अलवर

10— परिणामतः दोनों द्वितीय अपीलें खारिज की जाती है तथा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित एक ही निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12—01—2005 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(सी0आर0 मीना)
सदस्य